Australian Government Fair Work OMBUDSMAN

Hindi - हिन्दी

प्रवासी कर्मियों और वीज़ा धारकों सहित ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सभी नियोक्ताओं के लिए कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित कानून का अनुपालन करना अनिवार्य है, भले ही उनके कर्मचारी वीज़ा धारक हों।

हम कार्यक्षेत्र पर आपके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में काम करने से सम्बन्धित हमारा छोटा वीडियो देखें।

शुरूआत करना

ऑस्ट्रेलिया में काम करने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना:

- भुगतान
- अवकाश और काम से छुट्टी लेना
- रोज़गार समाप्त करना
- क्या आपको सहायता की ज़रूरत है
- हमें फ़ोन करें।

और अधिक जानकारी के लिए हमारी नई नौकरी शुरू करने से सम्बन्धित संदर्शिका (DOCX 45.1KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/733/hindi-guide-to-starting-a-new-job.docx.aspx) (PDF 630.7KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/733/hindi-guide-to-starting-a-new-job.pdf.aspx) (Guide to starting a new job) या हमारी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने से सम्बन्धित संदर्शिका (DOCX 35.3KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/733/hindi-guide-to-hiring-employees.docx.aspx) (PDF 842.1KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/733/hindi-guide-to-hiring-employees.pdf.aspx) (Guide to hiring new employees) देखें।

भुगतान

अलग-अलग नौकरियों के लिए वेतन की अलग-अलग न्यूनतम दरें हैं जिनका भुगतान सभी कर्मचारियों को किया जाना चाहिए। संदर्शिका के तौर पर, 21 साल या इससे अधिक की आयु वाले कर्मचारी को प्रति घंटा कम से कम $19.49 या यदि उन्हें वैतनिक अवकाश नहीं मिलता है तो कम से कम प्रति घंटा $24.36 मिलना चाहिए।

और अधिक जानकारी के लिए हमारा काम के लिए भुगतान पेज़ (www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/payment-for-work) देखें।

यदि किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी के भाग के रूप में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बैठकों में भाग लेना पड़ता है या व्यापार को खोलना या बंद करना पड़ता है, तो उन्हें काम किए जाने वाले सभी घंटों के लिए सही वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारियों को भुगतान नकद में किया जाना चाहिए, न कि वस्तुओं या सेवाओं के रूप में जैसे कि भोजन, कपड़े या आवास।

अवकाश और काम से छुट्टी लेना

कर्मचारी काम से छुट्टी ले सकते हैं। इसे ‘ अवकाश (‘leave’) कहते हैं। इसमें शामिल है:

- छुट्टियों के लिए वैतनिक अवकाश
- जब वे बीमार हों या किसी की देखरेख कर रहे हों तो वैतनिक अवकाश
- उनके माता या पिता बनने की स्थिति में अवकाश।

हमारे अवकाश और काम से छुट्टी लेना पेज़ (www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/holidays-and-taking-time-off-work) से और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

रोज़गार समाप्त करना

कोई कर्मचारी इस्तीफ़ा दे सकता है या उसे नौकरी से निकाला (बरखास्त) किया जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि सही नोटिस (notice) अवधि दी जाए। नोटिस और रिडन्डेंसी (redundancy) पात्रताओं का हिसाब लगाने के लिए हमारे नोटिस एवं रिडन्डेंसी कैलकुलेटर (Notice and Redundancy Calculator (https://calculate.fairwork.gov.au/endingemployment)) का प्रयोग करें।

क्या आपको सहायता की ज़रूरत है?

यदि आपको कार्यक्षेत्र पर अपने वेतन या शर्तों के संबंध में कोई समस्या पेश आ रही है, तो हम सहायता कर सकते हैं। अपनी भाषा में हमसे बात करें। ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को कार्यक्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा लघु वीडियो देखें।

कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी विवाद में Fair Work Ombudsman आपकी सहायता कैसे कर सकता है, इस सम्बन्धी जानकारी के लिए हमारा कार्यक्षेत्र से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना - पेज़ (www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/issues-in-the-workplace/resolving-workplace-disputes) देखें।

यदि आपको यह चिंता है कि कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र के कानूनों का पालन नहीं कर रहा है परन्तु आप इस मामले में फंसना नहीं चाहते/चाहती हैं, तो आप हमें मामले की सूचना गुमनाम रूप से (www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/issues-in-the-workplace/default) भी दे सकते/सकती हैं।

यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन और अपनी पात्रताओं के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए Fair Work Ombudsman से संपर्क करता है, तो ऐसा करने से वह किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा।

ऑस्ट्रेलिया में सभी कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में समान संरक्षण प्राप्त हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी छोटी वीडियो देखें।

हमें फ़ोन करें

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत है, तो अपनी भाषा में हमसे नि:शुल्क बातचीत करने के लिए समय नियुक्त करने हेतु अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर फ़ोन करें। ऑपरेटर को आपके द्वारा बोले जाने वाली भाषा बताएँ और उनसे हमें 131 394 पर फ़ोन करने के लिए कहें। आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से TIS को +61 3 9268 8332 पर फ़ोन कर सकते हैं।

आगे क्या करें

- क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि कोई व्यक्ति या संस्था कार्यक्षेत्र से जुड़े कानून का अनुपालन नहीं कर रही है। आप गुमनाम रूप से हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। अभी (www.fairwork.gov.au/language-help/hindi/issues-in-the-workplace/default) गुमनाम तरीके से रिपोर्ट (www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/how-we-help-you/anonymous-report) करें

Page reference No: 2811

Contact us

Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94

The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional. Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.